



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

(A U.P. Government Undertaking)

SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001

CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं०: 3140 - मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2019-15एन०जी०/2001

दिनांक : 30 अक्टूबर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2019 से बढ़ी दर से महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

एतद्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के आदेश संख्या: 973-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2019-15एन०जी०/2001, दिनांक 11.04.2019 के अनुक्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं०: 29-2019/सा-3-789/दस-2019-301/2000टी०सी०, दिनांक 23.10.2019 में निहित प्राविधानों की अनुरूपता में निगम के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 01.07.2019 से बढ़ी हुई महंगाई राहत की (05) पाँच प्रतिशत की एक और किश्त दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य महंगाई राहत में दिनांक 01.07.2019 से (05) पाँच प्रतिशत की उपर्युक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप पेंशन पर अनुमन्य महंगाई राहत की वर्तमान (12) बारह प्रतिशत की दर निम्नवत् हो जायेगी :-

क्रम सं०	महंगाई राहत अनुमन्यता की तिथि	बढ़ी हुई महंगाई राहत की देय किश्त की दर	महंगाई राहत की देय कुल दर
01	01 जुलाई, 2019	05 प्रतिशत	17 प्रतिशत

3- महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के आधे से कम आगणित होंगी उसे नजरअंदाज कर दिया जायेगा जबकि आधे अथवा आधे से अधिक को पूर्ण रुपये के रूप में लिया जायेगा।

4- पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप सं०: 1054-डब्ल्यू०सी०/राविप-औ०सं०-19-14(23)एफ-85, दिनांक 10.06.1988 में निहित आदेशानुसार पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत के भुगतान के लिये मुख्य महाप्रबन्धक(वित्त)/महाप्रबन्धक(लेखा)/उप मुख्य लेखाधिकारी/लेखाधिकारी के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के आधार पर ही उपरोक्तानुसार अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

 कमश:2

5- महंगाई राहत स्वीकृति करने के सम्बन्ध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध, जो इस सम्बन्ध में निर्गत पूर्व निगमादेशों में उल्लिखित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

सं०: 3140 - मा०सं०प्र०-02/उनि०/2019, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, कोषागार, कोषागार निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, कक्ष संख्या-148, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिलाकोषाधिकारी, उ०प्र०।
6. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
7. महाप्रबन्धक(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1)/मुख्य अभियन्ता(स्तर-11), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/1X660 पनकी/2X660 जवाहरपुर ताप विद्युत परियोजना, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा (सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झांसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/ पनकी(कानपुर)/मलावन (एटा)।
9. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), (पीपीएमएम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता(स्तर-11), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी-46वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010।
12. मुख्य अभियन्ता(स्तर-1), तापीय परिचालन, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. मुख्य अभियन्ता(स्तर-11), ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर०एण्डएम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा/जानपद/जानपद नव-परियोजनाएं, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी-46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षक अभियन्ता(मा०सं०-01/02/03/04/05/06/रिफार्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/रिफार्म/डाटाबेस, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।



कमशः3

19. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
20. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), केश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
21. समस्त उप सचिव/अधिसासी अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी,(मानव संसाधन)/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
22. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०)/(पेंशन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
23. कार्मिक अधिकारी(आ०सं०)/जन सूचना अनुभाग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
24. अध्यक्ष, विद्युत पेंशनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12 स्टेशन रोड, लखनऊ।
25. कट फाइल।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार मिश्र)

उपमहाप्रबन्धक(मा०सं०-०२)